कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

भाग—एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन विकास एवं विनियमन अधिनियम 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्याः 1—487 / 99—1—फिन(एल0ए0) खण्ड—1—554, दिनांक 20.1.2000 के दृष्टिगत, कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे :—

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
1.	जिलाधीश कुल्लू, अध्यक्ष	1.4.2013 से 7.7.2013
2.	श्री भूपेन्द्र कांत मिश्रा, अध्यक्ष	8.7.2013 से 31.3.2014
3.	श्री प्रकाश कश्यप, सचिव	1.4.2013 से 31.3.2014

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रमांक	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1.	दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8	19.50
2.	मण्डी शुल्क की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9	5.62
3.	नाका चौकी बजौरा में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क में से राशि का बैंक मे कम जमा करवाया जाना	10	0.09
4.	नाका चौकी बजौरा में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की कम वसूली करना	11	0.68

5.	लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली का शेष पाया जाना	13	3.64
6.	लाहौल पोटेटो सोसायटी से मण्डी शुल्क की वसूली का शेष पाया जाना	14	1.42
7.	आय कर विभाग को आय कर तथा जुर्माना राशि का अनावश्यक भुगतान	18	69.11
8.	सेवा कर जुर्माने का अनावश्यक भुगतान	19	0.13
9.	डिपोज़िट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	20	101.80

(घ) मण्डी समिति की आय व व्यय के स्त्रोत निम्न प्रकार से हैं

(1) आय

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू को वर्ष 2013–14 में सामान्यतः निम्नलिखित मदों से आय प्राप्त हुई :–

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 40(3) के अन्तर्गत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय

(iii) मण्डी समिति के विभिन्न निकायों में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों तथा अन्य व्यापारियों से मण्डी शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त आय

(iv) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मो के विक्रय से प्राप्त आय

(v) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय

(vi) मण्डी समिति कुल्लू परिसर में निर्मित पार्किंग की फीस के रूप में प्राप्त आय

(vi) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय

(vii) अन्य विविध आय

(2) व्यय

कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान सामान्यता निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गया :–

(i) वेतन, मानदेय, मजदूरी, अन्य विभिन्न भत्तों पर तथा कार्यालय मदों पर व्यय

(ii) कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ती तथा यात्रा/दैनिक भत्ते इत्यादि पर व्यय

(iii) कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण शिविरों व विज्ञापनों पर व्यय

(iv) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय

(v) मण्डी समिति के वाहन के पैट्रोल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय

(vi) डिपोजिट कार्य के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यय

(vii) हिमाचल प्रदेश सरकार को देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय

(viii) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 49(3) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में संलिप्त व्यय

(ix) कार्यालय मशीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय

(x) अन्य मिश्रित व्यय

(ड़) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विवरण **परिशिष्ट–"A"** पर दिया गया है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

कृषि उपज समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण, श्रीमती इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वांकेक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के कुल्लू स्थित कार्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए हैं।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा उपलबध की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करने के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3. लेखा परीक्षा शुल्क

कृषि उपज समिति कुल्लू के वर्ष 2013—14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8,57,872/— आंका गया। मण्डी समिति द्वारा यह राशि डी0डी0 संख्याः 775121, दिनांक 27.11.2014 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—171009 को प्रेषित की जा चुकी है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई, मण्डी समिति कुल्लू की वर्ष 2013—14 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :—

आरम्भिक शेष	3,97,20,783.54
वर्ष में प्राप्तियाँ	(+) 6,22,97,156.79
कुल जमा	10,20,17,940.33
वर्ष में भुगतान	(—) 2,93,82,809.50
अन्तशेष	**7,26,35,130.83**
रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	7,27,52,165.81
अन्तर	**1,17,034.98**
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दर्शाया गया अन्तर	89,673.46

	दिनांक 31.08.2013 को रोकड़ बही में अधिक दर्शाई गई राशि	27,361.52
	योग	**1,17,034.98**
(ख)	**बैंक के अनुसार अन्तशेष का विवरण :–**	
	हस्तगत राशि	**250.00**
	परिशिष्ट–''ख'' के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	4,79,17,345.46
	परिशिष्ट–''ग'' के अनुसार बचत खातों में जमा राशि	2,39,15,647.76
	कुल राशि	**7,18,33,243.22**
(ग)	**अन्तर की राशि = 7,26,35,130.83 – 7,18,33,243.22**	**8,01,887.61**
(घ)	**बैंक समाधान विवरणीका :–**	

वर्ष 2013–14 की बैंक समाधान विवरणीका **परिशिष्ट–''क'' पर संलग्न है।**

5 सावधि जमा योजना में निवेश

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक ₹4,79,17,345.46/–सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–''ख''** में दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन राशियों को परिपक्वता तिथि पर भुनाकर/आहरित करके, इनका पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

6 बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने से ब्याज की सम्भावित हानि का होना

वर्ष 2013–14 के बचत खातों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही के अनुसार मण्डी समिति के विभिन्न बचत खातों में दिनांक 31.03.2014 तक ₹2,39,15,647.76/– शेष पड़ी थी, जिनका विवरण **परिशिष्ट–''ग''** पर दिया गया है। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके बचत खातों में आवश्यकतानुसार ही राशि रखकर शेष राशि का सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश किया जाए ताकि इस पर अधिकतम ब्याज प्राप्त करके विपणन समिति की आय को बढ़ाया जा सके अन्यथा बचत खाते में अधिक राशि रखने पर मण्डी समिति को ब्याज की हानि का होना स्वाभाविक है, जिसका भविष्य हेतु परिहार किया जाए।

7 मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान बैंक बचत खातों की संख्या में और अधिक बढ़ौतरी करना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति द्वारा वर्ष 2013–14 में संचालित बैंक बचत खातों की जाँच करने पर पाया गया कि पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में तीन और नए बैंकों में बचत खाते खोले गए हैं, जिसके फलस्वरूप बैंक खातों की संख्याः 12 से

बढ़ कर 15 हो गई हैं। अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2012–13 के वार्षिक प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 7(च) में भी वर्णित किया गया था कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा अत्याधिक बचत खातों का संचालन किया जा रहा है जिस कारण बैंक समाधान में अनेक कठिनाईयां पेश आ रही हैं, परन्तु वर्ष 2013–14 में बचत खातों की संख्या को कम किए जाने के स्थान पर तीन और नए खाते खोले गए हैं जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ यह भी लाया जाता है कि मण्डी समिति द्वारा आनी में के0सी0सी0 बैंक में बचत खाता संचालित किया जा रहा है जिसकी दूरी उप मण्डी खेगसू तथा नाका चौकी निरमण्ड से बहुत अधिक है तथा उक्त नाका चौकियों से प्राप्त आय को के0सी0सी0 बैंक आनी में जमा करवाने हेतु मण्डी समिति के कर्मचारियों द्वारा यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते का दावा किया जाता रहा है, जबकि लूहरी में एस0बी0आई0 की शाखा में बचत खाता संख्याः 116471135056 संचालित किया जा रहा है जो कि उक्त मण्डी और नाका चौकी से नजदीक में स्थित है। अतः मण्डी समिति कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया जाए कि पास में बैंक होने के बाबजूद इतनी दूरी पर बैंक खाता खोलने की क्या आवश्यकता थी जिसे तुरन्त बन्द किया जाए तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आंतरिक जाँच कर आवश्यकतानुसार ही बैंक खातों का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक खातों को बन्द करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹19,50,896 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

कृषि उपज मण्डी समिति के मांग तथा संग्रह रजिस्टर (Demand & Collection Register) तथा अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–''घ''** के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.03.2014 तक दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹19,50,896/– वसूली हेतु शेष थी। विगत वर्षों में विभिन्न आबंटियों से वसूली हेतु शेष किराए का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	तिथि जिस दिन किराए की वसूली शेष थी	वसूली योग्य किराए की राशि
1	31.03.2005	1,49,945
2	31.03.2006	5,85,175
3	31.03.2007	8,92,936
4	31.03.2008	8,50,527
5	31.03.2009	8,20,427

6	31.03.2010	8,36,324
7	31.03.2011	10,64,816
8	31.03.2012	16,89,485
9	31.03.2013	19,96,748

अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली बारे कृषि उपज मण्डी समिति के गत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे भी लगातार आपत्ति उठाई जा रही है, किन्तु इस सन्दर्भ मे कोई भी सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई है, अपितु लम्बित किराए की राशि में साल दर साल बढ़ौतरी ही हुई है, जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है। अतः उक्त लम्बित किराए की शेष राशि की शीघ्र वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में सभी दुकानों के आबंटियों से निर्धारित समय पर किराए की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर पूरी छानबीन करके सम्बन्धित दुकानदारों को नियमों/अधिनियमों के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए उचित कार्रवाई भी की जाए ताकि मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ–साथ मण्डी समिति को इन प्राप्त योग्य राशियों पर ब्याज के रूप में हो रही अप्रत्यक्ष हानि से भी बचाया जा सके।

9 मण्डी शुल्क की बकाया ₹5,62,055 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की विभिन्न उप मण्डियों के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों एवं **"ओ"** फार्मों की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि विभिन्न लाईसैंस धारी व्यापारियों से दिनांक 31.03.2013 तक यथा **परिशिष्ट–"ड़(i)(ii)(iii)(iv)(v)"** पर दिए गए विवरणानुसार मण्डी शुल्क की ₹5,62,055/– वसूली हेतु शेष है। उक्त लम्बित वसूली के कारण जहां एक ओर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को निश्चित तौर पर ब्याज के रूप में भी हानि उठानी पड़ रही है जो कि समिति के हित में नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 में विनिर्दिष्ट निवेशों के अन्तर्गत वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 नाका चौकी बजौरा में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क में से ₹9,520 का बैंक में कम जमा करवाया जाना

नाका चौकी बजौरा की वर्ष 2013–14 की आय की जाँच में पाया गया कि माह जुलाई, 2014 तथा अगस्त, 2014 में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क से सम्बन्धित रसीदों में दर्शाई गई राशियों की गलत गणना के फलस्वरूप बैंक में ₹9,520/– कम जमा करवाई गई जो कि गम्भीर

अनियमितता को परिलक्षित करता है। इस प्रकरण में सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा भी नाका चौकी प्रभारी द्वारा जमा करवाई गई गलत राशियों से सम्बन्धित मासिक रिर्टनों की जाँच किए बिना ही राशि को रोकड़ बही में दर्ज कर लिया है। अतः उक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियेां पर प्रभावी नियन्त्रण रखना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त कम जमा की गई राशि की सम्बन्धित चौकी प्रभारी से ब्याज सहित वसूली करने के उपरान्त इसे बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। कम जमा करवाई गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

माह	**रसीद सं0**	**राशि जो वसूली जानी थी**	**वसूली गई राशि**	**कम वसूली गई राशि**
जुलाई, 2014	35560 से 25686	1,21,778	1,17,892	3,886
अगस्त, 2014	050068 से 0500100 50101 से 50200 50201 से 50219	1,21,684	1,20,740	944
अगस्त, 2014	53296 से 53300 53701 से 53800 53301 से 53400 53401 से 53500 53501 से 53600 53901 से 54000 53801 से 53900 44101 से 44186	8,03,560	7,99,870	3,690
अगस्त, 2014	50382 से 50400 50401 से 50500 50501 से 50567	1,49,065	1,48,065	1,000
			कुल योग	**₹9,520**

11 नाका चौकी बजौरा में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंउ शुल्क की ₹68,145 की कम वसूली करना

मण्डी समिति द्वारा स्थापित उक्त नाका चौकी की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इस नाका चौकी में गेर लाईसैंसधारी व्यापारियों से

कम्पाऊंड मण्डी शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 75 व इस सन्दर्भ में मण्डी समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं की गई है। परिणामस्वरूप कम्पाऊंड शुल्क की यथा **परिशिष्ट–''च''** ₹68,145/– की कम वसूली की गई, जिसके कारण मण्डी समिति को निश्चित तौर पर हानि हुई है जिसकी भरपाई सम्बन्धित व्यापारियों से की जानी अपेक्षित है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त परिशिष्ट में वर्णित अपेक्षित वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में इस तरह के प्रकरण न दोहराए जाएं तथा कम्पाऊंड शुल्क की निर्धारित दरों के अनुसार ही वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि मण्डी समिति द्वारा समय–समय पर संशोधित कम्पाऊंड शुल्क की दरों को लिखित आदेशों के रूप में नाकाचौकियों पर तैनात कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाए ताकि उनके द्वारा नियमानुसार ही वसूली की जा सके।

12 उप मण्डी भुन्तर में एक ही समय पर अनेक क्रम संख्या की कई रसीद पुस्तकों का प्रयोग किया जाना

उप सब्जी मण्डी भुन्तर की वर्ष 2013–14 की आय से सम्बन्धित रसीद पुस्तकों की जाँच करने पर पाया गया कि उप मण्डी भुन्तर में एक समय पर अनेक रसीद पुस्तकों का प्रयोग वहां पर तैनात कर्मचारियों द्वारा किया गया है, जबकि नियमानुसार एक रसीद पुस्तक के पूर्णतया समाप्त होने के पश्चात् ही दूसरी पुस्तक का प्रयोग किया जाना अपेक्षित हैं, लेकिन वहां तैनात सभी कर्मचारियों द्वारा ऐसा न करके अलग–अलग क्रम की कई रसीद पुस्तकों को एक ही समय पर प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त पूरे दिन में वसूला गया मण्डी शुल्क एक क्रम की रसीद पुस्तक के हिसाब से बैंक में जमा न करवा कर अनेक क्रम की रसीद पुस्तकों द्वारा जमा करवाया गया, जिसके फलस्वरूप जमा की गई राशि का सत्यापन/मिलान किए जाने में कठिनाई पेश आ रही है। उदाहरण के लिए दिनांक 1.8.2013 को रसीद संख्या 49428 से 29, रसीद संख्या 42595 से 42600 तथा रसीद संख्या 37976 से 37977 द्वारा वसूली की गई राशियों को दिनांक 2.8.2013 को यू0बी0आई भून्तर में जमा किया गया, जो कि एक अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त उपमण्डियों तथा नाका चौकियों में तैनात मण्डी पर्यवेक्षकों, नीलामी अभिकर्त्ताओं तथा चपड़ासी–एवं–चौकीदारों द्वारा रसीद पुस्तकों का प्रयोग किया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि वास्तव में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा रसीद पुस्तकों को प्रयोग करने हेतु किसे प्राधिकृत किया गया है। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण रखने हेतु लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

13 लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2014 तक ₹3,64,679 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों की नस्तियों में संलग्न **"ओ"** फार्मों की जाँच के उपरान्त पाया गया कि आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2014 तक निम्नानुसार मण्डी शुल्क की ₹3,64,679/– वसूली हेतु शेष हैं। अतः इसकी वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 75(1)ए के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा सम्भव अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	पिछला बकाया	वर्ष 2013–14 में मण्डी शुल्क की देय राशि	कुल राशि	वर्ष 2013–14 में प्राप्त मण्डी शुल्क की राशि	अवधि 31.03.14 तक बकाया मण्डी शुल्क की राशि
1.	मै0 हरि सिंह ठाकुर	–	3,99,667	3,99,667	3,00,000	99,667
2.	मैं0 सुशील कुमार एण्ड कम्पनी	–	3,34,618	3,34,618	3,00,183	34,435
3.	मै0 भगवान सिंह एण्ड कम्पनी	–	3,80,577	3,80,577	1,50,000	2,30,577
		योग	**11,14,862**	**11,14,862**	**7,50,183**	**3,64,679**

14 लाहौल पौटेटो सोसाइटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹1,42,072 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लाईसैंसधारी लाहौल पौटैटो ग्रोवर को0 ऑपरेटिव सोसाईटी की वर्ष 2013–14 की रिटर्न (Return) की जाँच के उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 31.3.2014 तक उनसे निम्न विवरणानुसार ₹1,42,072/– वसूली हेतु शेष हैं, जिसकी वसूली अतिशीघ्र की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	वर्ष 2013–14 में मण्डी शुल्क की देय राशि	वर्ष 2013–14 में प्राप्त मण्डी शुल्क की राशि	अवधि 31.3.14 तक बकाया मण्डी शुल्क राशि
1.	एल0पी0एस0	3,48,756	2,06,684	1,42,072

15 लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली, अंश–भुगतान (Part-Payment) के रू० में प्राप्त करने बारे

नियमानुसार मण्डी शुल्क का आंकलन व्यापारी द्वारा किए गए व्यापार के आधार पर किया जाता है तथा इसकी वसूली भी उसी आधार पर की जानी अपेक्षित होती है। मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल एवं स्पिति के अधीन विभिन्न उप मण्डियों की वर्ष 2013–14 की आय व आय से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में अंश–भुगतान प्राप्त किया जा रहा है जो कि नियमों के विरूद्ध है, जिससे प्रतीत होता है कि फर्मों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उदाहरणतया मैं0 गुडडू फ्रूट कम्पनी भुन्तर से 1.4.2013 से 30.8.2013 तक बिना किसी अभिलेख के अंश भुगतान प्राप्त किया गया है। ऐसे ही अनेक अन्य प्रकरण अंकेक्षण के दौरान सामने आए हैं।

अतः यह मामला मण्डी समिति के उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि वे इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश दें कि लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली नियमानुसार की जाए तथा अंश भुगतान प्राप्त करने की प्रथा को तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाए ताकि मण्डी समिति को सम्भावित हानि से बचाया जा सके।

16 विभिन्न मण्डियों से वसूले गए मण्डी शुल्क/सुविधा शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव सही प्रकार से न किया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के अधीनस्थ एवं विभिन्न उप मण्डियों की वर्ष 2013–14 की आय की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न मण्डियों में तैनात प्रभारियों द्वारा अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण और आधा अधूरा अभिलेख अंकेक्षण के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप मण्डी शुल्क की वास्तविक वसूली का सत्यापन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। अंकेक्षण के दौरान उप मण्डियों के अभिलेखों में पाई गई कुछ त्रुटियों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(क) वसूली गई फीस से सम्बन्धित अभिलेखों को नस्तियों में न लगाया जाना

वर्ष 2013–14 के दौरान फीस वसूली से सम्बन्धित रसीद पुस्तकों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रसीदें जारी करके मण्डी शुल्क की वसूली तो कर ली गई है, परन्तु सम्बन्धित लैजर में न तो रसीद संख्या तथा न ही राशि का इन्द्राज किया गया है। इसके अतिरिक्त नस्तियों का रख–रखाव भी सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा नस्तियों में **"ओ"** फार्मों का रख–रखाव भी सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है और

न ही फीस वसूली से सम्बन्धित अभिलेख नस्तियों में पाए जा रहे हैं। इस प्रकार फीस वसूली के उपरान्त अभिलेख का रख–रखाव न किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके अभाव में यह सुनिश्चित किया जाना कठिन है कि व्यापारी विशेष ने वर्ष के अन्त में कितना व्यापार किया गया उनके द्वारा कितने शुल्क का भुगतान किया है। इस प्रकार अधूरे अभिलेख या अभिलेखों के रख–रखाव में कमी पाए जाने के कारण कुछ राशियों का सत्यापन अंकेक्षण में नहीं किया जा सका, जिन फर्मों का अभिलेख नस्तियों में संलग्न नहीं है अथवा प्राप्त राशियों की प्रविष्टियाँ लेजर में नहीं की गई हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

उप मण्डी भून्तर

क्र0 सं0	फर्म का नाम	''ओ'' फार्म संख्या	रसीद सं0	राशि	टिप्पणी
1.	मैं0 भद्रकाली फ्रूट कं0	83653 से 83661	83656, 59 व 61	16,180	इन वसूलियों से सम्बन्धित अभिलेख ''ओ'' फार्म नस्तियों में संलग्न नहीं पाए गए हैं।
2.	मैं0 जय महादेव फ्रूट कं0	50519 से 50523	49500	21,177	
3.	मैं0 ऋषि फ्रूट कं0	61725 से 61734	37885, 65945, 49435, 27619, 27642, 638723	6,081	
4.	मैं0 लुभाया राम फ्रूट कं0	42524 से 42537	37682, 37812, 37869, 49424	24,270	
5.	मै0 ओम ट्रेडिंग कं0	–	37816	1,102	रसीद पुस्तकों की जाँच में पाया गया कि इन सभी वसूलियों से सम्बन्धित ''ओ'' फार्म नस्तियों में संलग्न नहीं किए गए हैं तथा न ही उक्त सभी प्राप्त राशियों तथा रसीद संख्या का इन्द्राज लैजर में किया गया है।
6.	मैं0 शिव शक्ति फ्रूट कं0	–	37827	3,600	
7.	मैं0 चेतन फ्रूट कं0	–	37844	500	
8.	मै0 गुड्डू फ्रूट कं0	–	37874	2,000	
9.	मैं0 ठाकुर फ्रूट कं0	–	18329	935	
10.	मैं0 विपिन फ्रूट कं0	–	27658	2,610	
11.	मैं0 न्यू श्याम फ्रूट कं0	–	27659	11,259	

12.	मैं0 राम फ्रूट कं0	—	27684	6,485
13.	मैं0 सन्दीप फ्रूट कं0	—	49415	9,678
14.	मैं0 रिन्कू फ्रूट कं0	—	27685	4,420
15.	मैं0 श्याम फ्रूट कं0	—	49416	18,097
16.	मैं0 गुड्डू फ्रूट कं0	—	65929	6,000
17.	मैं0 कामाख्या फ्रूट कं0	—	65952	23,740
18.	मैं0 चेतन फ्रूट कं0	—	65962	8,354
19.	मैं0 श्याम फ्रूट कं0	—	65976	1,245
20.	मैं0 मनाली रोलर मिल्ज़	—	37551	51,960
21.	मैं0 निर्मल फ्रूट कं0	—	37666	2,286

(ख) नस्तियों में संलग्न अभिलेखों, ''ओ'' फार्मों पर फीस वसूली सम्बन्धी रसीद संख्याः व राशि का न लिखा जाना

जांच में यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में लाईसैंसधारी व्यापारियों द्वारा किए गए व्यापार से सम्बन्धित अभिलेख, ''ओ'' फार्म तो नस्तियों में संलग्न किए गए हैं, परन्तु ''ओ'' फार्मों पर वसूली योग्य मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रसीद संख्या अंकित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त रसीद पुस्तकों की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि इन राशियों से सम्बन्धित रसीदें भी अभिलेख में नहीं हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि मण्डी शुल्क की वसूली ही नहीं की गई है जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः यह मामला मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि वे मामले को गम्भीरता से लेते हुए अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को अभिलेख का उचित रख–रखाव करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दें ताकि मण्डी समिति की आय की स्थिति स्पष्टतः परिलक्षित हो सके।

17 रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार सही ढंग से न किया जाना

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा राजकीय मुद्रणालय शिमला से प्राप्त रसीद पुस्तकों के प्राप्ति एवं वितरण से सम्बन्धित (Receipt & Issue) रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है अर्थात उक्त रजिस्टर के रख–रखाव में गम्भीर अनियमितताएं पाई गई हैं जैसे कि उक्त रजिस्टर में न तो पिछली बकाया रसीद पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है तथा न ही

रसीद पुस्तकों को सम्बन्धित उपमण्डियों तथा नाका चौकी प्रभारियों को जारी करने के पश्चात् स्टॉक में कितनी पुस्तकें बकाया बची हैं इत्यादि की संख्या दर्शाई गई है और न ही रसीद पुस्तकों को क्रमवार सम्बन्धित प्रभारियों को जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त कुछ पुस्तकों को वितरण रजिस्टर में जारी भी किया गया नहीं दर्शाया गया है, जबकि वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया है कि यह रसीद पुस्तकें नाका चौकी बजौरा में प्रयोग की जा रही हैं। इसी प्रकार की अन्य गम्भीर अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

(क) प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर के आरम्भ में प्रमाणित किया गया है कि इस रजिस्टर में 94 पृष्ठ हैं लेकिन रजिस्टर में पृष्ठ संख्याः अंकित नहीं की गई है, जो कि गम्भीर अनियमितता है।

(ख) वितरण रजिस्टर के अनुसार दिनांक 17.11.2012 को रसीद पुस्तिका संख्या 28601 को दो बार जारी किया गया दर्शाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि एक ही क्रम संख्या की दो पुस्तकें स्टोर में मौजूद थी और उन्हें जारी कर दिया गया। इस मामले की गम्भीरता से जाँच की जानी अपेक्षित है।

(ग) रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 19.7.2013 को रसीद पुस्तिका संख्या 62001, 62101, 62201, 62301, 62401, 62501, 62601, 62701, 62801 तथा 62901 कुल 10 पुस्तिकाएं दो बार जारी दर्शाई जाने के फलस्वरूप वास्तव में दिनांक 19.07.2013 को कुल 40 पुस्तकें ही जारी हुई हैं, जबकि रजिस्टर में कुल 50 पुस्तकें जारी की गई दर्शाई गई हैं, जो कि गम्भीर अनियमितता है।

(घ) राजकीय मुद्रणालय से पहले प्राप्त रसीद पुस्तकों को दिनांक व क्रमवार जारी न करके बाद में प्राप्त पुस्तकों को पहले जारी किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप पहले प्राप्त रसीद पुस्तकें स्टॉक में बकाया पड़ी रहती हैं। इस प्रकार रजिस्टर के सही रख–रखाव न किए जाने के कारण स्टॉक में कितनी पुस्तकें और किस क्रम की बकाया हैं, की सही स्थिति को मालूम किया जाना सम्भव नहीं होता है, जबकि रसीद पुस्तकें महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज हैं तथा इसका सही रख–रखाव न होने के कारण वित्तीय दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ङ) उपमण्डियों तथा नाका चौकियों के प्रभारियों को रसीद पुस्तकें नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात् ही जारी की जानी अपेक्षित होती हैं, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय में सक्षम अधिकारी के

सत्यापन के बिना ही स्टोर कीपर के अलावा अन्य अनेक कर्मचारियों द्वारा पुस्तकें जारी की जा रही हैं, जोकि अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है।

उक्त प्रकरण सचिव मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति से अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 37, दिनांक 16.3.2015 को उठाया गया था लेकिन उनसे कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और न ही अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया है। अतः उक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि वे मामले की गम्भीरता से छानबीन करें तथा रसीद पुस्तकों का रख–रखाव सही प्रकार से करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि रसीद पुस्तकों का दुरूपयोग न हो।

18 मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आयकर विभाग को आयकर की ₹68,81,305 तथा जुर्माना की ₹30,000 अर्थात कुल ₹69,11,305 का अनावश्यक भुगतान किए जाने बारे

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आकस्मिक व्यय बिल संख्याः 709, दिनांक 11.03.14, ₹68,81,805/– जो कि आयकर भुगतान से सम्बन्धित है, के पूर्वांकेक्षण में पाया गया कि आयकर विभाग द्वारा दिनांक 15.10.2013 को नोटिस जारी करके वित्त वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 से सम्बन्धित आयकर निर्धारण बारे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने बारे तथा मण्डी समिति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए थे, परन्तु इस दौरान मण्डी समिति द्वारा न ही वांछित अभिलेख जैसे कि कैश बुक व व्यय के सत्यापन हेतु वाऊचर/ बिल इत्यादि प्रस्तुत किए तथा न ही ठीक प्रकार से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस कारण आयकर विभाग ने सम्बन्धित नियमों अनुसार ही कर निर्धारण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बिल संख्या 139, दिनांक 6.6.2014 के पूर्वांकेक्षण के दौरान भी यह पाया गया कि आयकर विभाग द्वारा सैक्शन 142(1) अधिनियम 1961 के अनुसार दिनांक 1.11.2013 को मण्डी समिति कार्यालय को वर्ष 2006–07, 2007–08 व 2008–09 के कर निर्धारण से सम्बन्धित नोटिस जारी कर दिनांक 11.11.2013 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा था, लेकिन मण्डी समिति कार्यालय द्वारा न तो आयकर विभाग के नोटिस को गम्भीरता से लिया और न ही निर्धारित तिथि को अपना पक्ष वांछित अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया, जिस कारण आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 सैक्शन 271(1)(b) के अन्तर्गत मण्डी समिति कार्यालय पर ₹30,000/–का जुर्माना लगा दिया, परिणामस्वरूप मण्डी समिति कार्यालय को ₹30,000/– की प्रत्यक्ष हानि उठानी पड़ी। उपरोक्त वर्णित दोनों बिलों में संलिप्त राशि का भुगतान अंकेक्षण द्वारा भुगतान की समयबद्धता तथा मण्डी समिति कार्यालय को समय पर भुगतान न किए जाने के कारण पेश आने वाली कठिनाई से बचाने के लिए अस्थाई रूप में पारित किय गया था, परन्तु मण्डी समिति

कार्यालय द्वारा आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस को नजरअन्दाज करना, आयकर विभाग के सम्मुख वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना तथा अपना पक्ष मजबूती से न रखना मण्डी समिति कार्यालय की लापरवाही को दर्शाता है, जिस कारण मण्डी समिति कार्यालय को लाखों रुपयों की हानि उठानी पड़ी है। अतः इस प्रकरण में मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों द्वारा विस्तृत छानबीन करके उचित स्त्रोत से हानि की भरपाई करवानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में आयकर रिटर्न को पूर्ण अभिलेखों तथा तथ्यों सहित आयकर विभाग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि मण्डी समिति को सम्भावित हानि से बचाया जा सके।

19 सेवा शुल्क के जुर्माने की ₹13,265 का अनावश्यक भुगान करने बारे

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आकस्मिक व्यय बिल संख्याः 49, दिनांक 24.4.2014, ₹4,42,156/– जो कि सेवाकर भुगतान से सम्बन्धित है, की जाँच में पाया गया कि सेवाकर विभाग द्वारा आदेश संख्या 0–1–0 नं0 36–37/एस0टी/ए0डी0सी0(ए0एच)/2013–14, दिनांक 04.02.2014 द्वारा सर्विस टैक्स की गणना करके प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सूचित किया गया था तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा भी पत्र संख्याः एच0एम0बी0/6–3/2004–खण्ड–1–16645, दिनांक 21.03.2014 द्वारा सर्विस टैक्स की उक्त राशि के तुरन्त भुगतान हेतु सचिव, मण्डी समिति को निर्देश दिए गए थे, लेकिन मण्डी समिति कार्यालय ने दिनांक 31.03.2014 को उक्त निर्देशों पर डायरी नम्बर अंकित करने के उपरान्त भी 24 दिनों तक भुगतान आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके फलस्वरूप विलम्ब से कार्रवाई किए जाने के कारण उक्त राशि पर 3 प्रतिशत की दर से जुर्माना राशि की भी अदायगी की गई जो कि मण्डी समिति कार्यालय/सम्बनिधत कर्मचारी की लापरवाही दर्शाती है तथा मण्डी समिति कार्यालय को उक्त लापरवाही के कारण ₹13,265/– की हानि उठानी पड़ी। यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचनां संख्याः 56, दिनांक 03.05.2014 को मण्डी समिति कार्यालय के समक्ष उठाया था, लेकिन मण्डी समिति कार्यालय द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः उक्त प्रकरण मण्डी समिति कार्यालय के उच्चाधिकारियों के सम्मुख इस आशय के साथ लाया जाता है कि ₹13,265/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके समिति के खाते में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न दोहराई जाए।

20 डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹1,01,80,093 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति द्वारा वर्ष 2013–14 में निर्माण कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पास ₹1,01,80,093/– की राशि जमा करवाई

गई थी, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–''छ''** पर दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में दिए गए विवरण के अनुसार जमा करवाई गई ₹1,01,80,093/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए हैं जिन्हें विपणन बोर्ड शिमला से शीघ्र प्राप्त करके अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि न तो हिमाचल प्रदेश कृषि राज्य विपणन बोर्ड डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत प्राप्त राशि को उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने बारे गम्भीर है और न ही मण्डी समिति कार्यालय समय–समय पर विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त यथासमय अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत करने के लिए गम्भीर है, जैसा कि विगत वर्षों से हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना इसका उदाहरण है। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई करवाए जाने के उद्देश्य से लाया जाता है।

21 विभिन्न बिलों में से स्थल पर ₹57,901 की कटौती करने बारे

वर्ष 2013–14 में निवासी अंकेक्षण योजना में पूर्वांकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिलों की जाँच पड़ताल करने पर अंकेक्षण द्वारा ₹57,901/– की स्थल पर ही कटौती की गई है। अतः विपणन समिति प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ़ करके पूर्वांकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न बिलों को सही प्रकार से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अनियमित अदायगी से बचा जा सके। स्थल पर की गई कटौती का विवरण यथा **परिशिष्ट–''ज''** पर दिया गया है।

22 लम्बित पड़ी अंकेक्षण अधियाचनाएं

वर्ष 2013–14 के दौरान अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को जारी की गई अंकेक्षण अधियाचनाओं में से निम्नलिखित अंकेक्षण अधियाचनाएं निपटारे हेतु शेष हैं :–

अंकेक्षण अधियाचना सं0 4, दिनांक 04.04.2013, अंकेक्षण अधियाचना सं0 2, दिनांक 04.04.2013, अंकेक्षण अधियाचना सं0 18, दिनांक 18.05.2013, अंकेक्षण अधियाचना सं0 36, दिनांक 17.06.13, अंकेक्षण अधियाचना सं0 37, दिनांक 17.06.2013, अंकेक्षण अधियाचना सं0 38, दिनांक 28.06.13, अंकेक्षण अधियाचना सं0 88, दिनांक 09.09.2013, अंकेक्षण अधियाचना सं0 90, दिनांक 11.09.13, अंकेक्षण अधियाचना सं0 99, दिनांक 25.09.2013, अंकेक्षण अधियाचना सं0 89, दिनांक 10.09.13 अंकेक्षण अधियाचना सं0 101, दिनांक 01.10.13, अंकेक्षण अधियाचना सं0 110, दिनांक 19.10.13, अंकेक्षण अधियाचना सं0 116, दिनांक 07.11.13 अंकेक्षण अधियाचना सं0 119, दिनांक 08.11.13, अंकेक्षण अधियाचना सं0 130, दिनांक 26.11.13 अंकेक्षण अधियाचना सं0 150, दिनांक 12.12.13, अंकेक्षण अधियाचना सं0 156, दिनांक 19.12.13, अंकेक्षण अधियाचना सं0 6, दिनांक 10.01.14,

अंकेक्षण अधियाचना सं0 15, दिनांक 27.01.14, अंकेक्षण अधियाचना सं0 16, दिनांक 28.01.14, अंकेक्षण अधियाचना सं0 18, दिनांक 01.02.14, अंकेक्षण अधियाचना सं0 19, दिनांक 01.02.14, अंकेक्षण अधियाचना सं0 22, दिनांक 04.02.14, अंकेक्षण अधियाचना सं0 31(ए), दिनांक 18.02.14, अंकेक्षण अधियाचना सं0 47, दिनांक 12.06.14, अंकेक्षण अधियाचना सं0 48, दिनांक 12.03.14, अंकेक्षण अधियाचना सं0 28, दिनांक 31.03.14, अंकेक्षण अधियाचना सं0 107, दिनांक 08.10.13

अतः उपरोक्त सभी वर्णित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा सुनिश्चित करने के साथ–साथ गत वर्षों की सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24 **निष्कर्ष :–** मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लेखाओं का रख–रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पुराने लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में तथा अंकेक्षण में अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने में मण्डी समिति की गतिशीघ्रता नगण्य है, जिस कारण जहां अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है वहीं अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने में भी विलम्ब होता है। अतः लेखों में सुधार के अतिरिक्त अपेक्षित अभिलेख भी यथा समय अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाएं।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)–79/84–खण्ड–09–4648–4651, दिनांकः 12.8.15 शिमला–09
प्रतिलिपि : निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पंजिकृत
1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को तथा अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति कुल्लू को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन भवन खलीनी, शिमला–171002.
3. विशेष सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरका, शिमला–171002.
4. अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू , जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–''क'' (पैरा I(च) के सन्दर्भ में)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित अनिर्णीत पैरों का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1977 से 3/1988

1.	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत	₹4.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
2.	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत	₹1.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
3.	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
4.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क न लिए जाने बारे
5.	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों द्वारा क्रय विक्रय का दैनिक विवरण फार्म ''एम'' मे ंन भरने बारे
6.	पैरा 6(v)	अनिर्णीत	बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे
7.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत	पेड़ों की नीलामी से हानि बारे
8.	पैरा 9(ए से एच)	अनिर्णीत	अस्थाई बिजली फिटिंग का कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति एवं टैडर से करने बारे तथा अनियमित भुगतान इत्यादि के मामलों के बारे में
9.	पैरा 9(vi)	अनिर्णीत	सात लकड़ी के खोखों की खरीद बिना बजट प्रावधान व बिना स्वीकृति के करना
10.	पैरा 13(v)	अनिर्णीत	आलू ग्राऊंड को समतल करवाने से सम्बन्धित व्यय रिकॉर्ड सहित अंकेक्षण को न दर्शाने बारे

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1984

1.	पैरा 5(सी) (I, ii, iii, iv)	अनिर्णीत	लाहौल पोटैटो सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के खर्च की कटौती बारे
2.	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत	सेब व पलम पर मण्डी शुल्क न लेने बारे
3.	पैरा 5(एफ)	अनिर्णीत	बिना लाईसैंस व मण्डी शुल्क लेने से कमेटी को हानि बारे
4.	पैरा 10(बी)	अनिर्णीत	अंकेक्षण को 6 दुकानों के निर्माण कार्य के बारे में रिकॉर्ड न दिखाना

5.	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत	अंकेक्षण को ग्राऊंड को समतल करवाने सम्बन्धी कार्य के भुगतान का रिकॉर्ड न दिखाना

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	29 व्यापारियों (Dealers) लाईसैंसधारियों द्वारा एम फार्म में रिटर्न जमा न करवाना
2.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी द्वारा आलू के बीज के 1172 बैग के मण्डी शुल्क की रिटर्न न भरने बारे
3.	पैरा 5(iii)(बी) (2, 4, 5)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे
4.	पैरा 5(iv) (i, ii, iii)	अनिर्णीत	शनाग को0आ0 सोसाईअी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे
5.	पैरा 5(v)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ लाहौल आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
6.	पैरा 8	अनिर्णीत	चौरी विहाल की दुकान/बूथ के किराये बारे
7.	पैरा 9	अनिर्णीत	पत्थरों की नीलामी से हानि बारे
8.	पैरा 11(1)	अनिर्णीत	अनियमित भुगतान बारे
9.	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत	कुल्लू में 6 दुकानों के निर्माण कार्य के रिकॉर्ड अंकेक्षण को न दिखाना
10.	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों से स्टोरेज चार्जिज न लिए जाने से कमेटी को हानि बारे

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1987

1.	पैरा 5	अनिर्णीत	ग्रांट की बकाया ₹40,953/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना
2.	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत	लाहौल पौटेटो को0आ0 सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
3.	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ हरी सिंह एण्ड कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति से मण्डी शुल्क में खर्च की कटौती बारे
4.	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत	मैं0 मनाली आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे

5.	पैरा 6(डी)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹21,666/- की वसूली बारे
6.	पैरा 9	अनिर्णीत	निर्माण कार्य मार्किट यार्ड बहांग में 14 दुकानों का कार्य अधूरा होने बारे

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1991

1.	पैरा 12	अनिर्णीत	निर्माण कार्य का भुगतान अंकेक्षण को न दिखाना

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1996

1.	पैरा 10(1)	अनिर्णीत	दैनिक वेतन भोगियों को सरकारी दरों से अधिक दरों पर किया गया भुगतान
2.	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य हेतु खरीदे गए सामान का सही रिकॉर्ड अंकेक्षण को न दिखाना
3.	पैरा 10(3)	अनिर्णीत	विश्राम गृह हेतु फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति न लेने बारे
4.	पैरा 10(5)	अनिर्णीत	चेयर मैन/अधिकारी विपणन बोर्ड/समिति कुल्लू द्वारा टैक्सी के प्रयोग के भुगतान बारे
5.	पैरा 10(7)	अनिर्णीत	मोटर साईकल पर पैट्रोल की खरीद पर व्यय बारे
6.	पैरा 10(12)	अनिर्णीत	ठेकेदारों को धरोहर राशि की वापसी बारे
7.	पैरा 10(15)	अनिर्णीत	ग्रेच्युटी व अवकाश वेतन की जाँच हेतु अंकेक्षण में सेवा पुस्तिका प्रस्तुत न करना
8.	पैरा 10(17)	अनिर्णीत	फार्म "एम" जारी किए गए परन्तु मण्डी समिति में जमा नहीं किए गए
9.	पैरा 11	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2000

1.	पैरा 11	अनिर्णीत	निर्माण कार्य के एवज़ में हिमाचल प्रदेश मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2002

1.	पैरा 13	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश मार्किटिंग बोर्ड शिमला से प्राप्त न करने बारे

2.	पैरा 14	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना
3.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत	टैक्सी द्वारा यात्रा का विवरण बिल में न दर्शाना
4.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत	बजट से अधिक खर्च की कार्योत्तर स्वीकृति न दिखाना
5.	पैरा 17	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से सम्बन्धित फार्म ''एम'' पर रिटर्न का न भरना

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1.	पैरा 7	अनिर्णीत	अध्यक्ष को घर से कार्यालय तक यात्रा भत्ता दैनिकी इत्यादि पर ₹2,57,800 का गलत भुगतान
2.	पैरा 14	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना
3.	पैरा 18	अनिर्णीत	मार्किट यार्ड चौरी विहाल सब्जी मण्डी की रसीद बुक का सत्यापन न होना

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1.	पैरा 12	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र न दर्शाना
2.	पैरा 18(1 से 6)	अनिर्णीत	रसीद बुकों के सारे पैसों को जमा न करके रद्द करने बारे

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1.	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	उप–सब्जी मण्डी कुल्लू व उप–सब्जी मण्डी चौरी विहाल के मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिटर्न फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना
2.	पैरा 13	अनिर्णीत	उप सब्जी मण्डी पतलीकूहल में आबंटित स्टॉलों/बूथों का किराया न वसूलने बारे
3.	पैरा 14(2)	अनिर्णीत	मॉर्डन (Modern) फ्रूट कम्पनी द्वारा आलू के 775 बैग से सम्बन्धित मण्डी शुल्क व फार्म ''एम'' रिटर्न न भरने बारे
4.	पैरा 14(4)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से किराए की कटौती बारे
5.	पैरा 17(2)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों से मण्डी शुल्क की वसूली बारे

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1.	पैरा 7(1 से 6)	अनिर्णीत	₹17,54,813 के डिपाजिट/निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड से लेकर न दर्शाने बारे
2.	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	हाप्स पर मण्डी शुल्क न लेने से ₹48,135/– की मण्डी शुल्क की हानि बारे
3.	पैरा 11(क)	अनिर्णीत	उप–सब्जी मण्डी कुल्लू के अवधि 2005–06 व 2006–07 की रिटर्न फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना
4.	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत	जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की रिटर्न (अवधि 2005–06, 2006–07) का फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना
5.	पैरा 12(1, 2, 3)	अनिर्णीत	बिजली के बिलों में पाई गई अनियमितताओं को अंकेक्षण में न बताने बारे
6.	पैरा 15(3)	अनिर्णीत	चल–अचल सम्पति रजिस्टर तैयार न करने बारे

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1.	पैरा 7(ग)(2)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से ₹5,06,405/–का व्यय विभिन्न वर्षों में बिना कमेटी की स्वीकृति के करने बारे
2.	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	मण्डी समिति कुल्लू द्वारा बिना लाईसैंसधारियों से ₹41,931/– की मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे
3.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	उप सब्जी मण्डी कुल्लू के वर्ष 2005–06, 2006–07 व 2007–08 के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना
4.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की वसूली बारे

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1.	पैरा 4(ग)(2)	अनिर्णीत	देय मण्डी शुल्क की राशि में से व्यय के रूप में की गई कटौती की राशि के अनुमोदन बारे
2.	पैरा 4(ग)(3)	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0आ0 सोसाईटी से मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे
3.	पैरा 5	अनिर्णीत	विभिन्न उप मार्किट यार्डों में अवधि 31.03.2008 तक की बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे

4.	पैरा 8	अनिर्णीत	दुकानों के इकरारनामें लेखा परीक्षा को नहीं दर्शाने बारे
5.	पैरा 10	अनिर्णीत	लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बधित अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत न करने बारे
6.	पैरा 11	अनिर्णीत	दुकानों के इकरारनामों/लीजडीड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे
7.	पैरा 12	अनिर्णीत	लाईसैंसों का नियमानुसार पंजीकरण न करना
8.	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	विभिन्न बैरियरों पर जारी किए गए रजिस्टरों व इनवैन्ट्री रजिस्टर बारे
9.	पैरा 13(2	अनिर्णीत	फार्म ''ओ'' के सत्यापन बारे

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1.	पैरा 6(ग)2)	अनिर्णीत	बिना कमेटी की स्वीकृति से मण्डी शुल्क की देय राशि से बिजली बिलों पर व्यय की कटौती बारे
2.	पैरा 7	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0आ0 द्वारा समय पर मण्डी शुल्क की राशि जमा न करवाने पर हुई ब्याज की राशि की हानि बारे
3.	पैरा 8	अनिर्णीत	विभिन्न जारी किए गए फार्मों की बिक्री से हुई प्राप्त राशि के जमा बारे
4.	पैरा 10	अनिर्णीत	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
5.	पैरा 11	अनिर्णीत	लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने बारे
6.	पैरा 12	अनिर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे
2.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे
3.	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे
4.	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे
5.	पैरा 6(i, ii, iii, iv, v)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क की बकाया ₹8,53,338/- की वसूली बारे
6.	पैरा 7	अनिर्णीत	आलू व्यापारियों से अवधि 31.03.2011 तक ₹5,26,993/- की वसूली बारे

7.	पैरा 8	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर सोसाईटी से मण्डी शुल्क की बकाया ₹1,17,318/– की वसूली बारे
8.	पैरा 9	अनिर्णीत	संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत अवधि 31.03.2011 तक भुगतान की गई ₹83,758/– की दूसरी विपणन समितियों से भरपाई करने बारे
9.	पैरा 10	अनिर्णीत	₹1,26,02,034/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
10.	पैरा 11	अनिर्णीत	स्ब मार्किट यार्ड बन्दरोल में उगे पौधों की लागत ₹3,58,730/– का भुगतान वन मण्डलाधिकारी कुल्लू को करने बारे
11.	पैरा 12	अनिर्णीत	विपणन समिति कुल्लू द्वारा विभिन्न सब मार्किट यार्डों में आबंटित दुकानों के एग्रीमेन्ट को लेखा परीक्षा में न दर्शाने बारे
12.	पैरा 13	अनिर्णीत	लाईसैन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण न करना
13.	पैरा 14	अनिर्णीत	देय दुकानों के किराये की ₹4,75,200/– की कम वसूली बारे

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1.	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	मण्डी समिति कार्यालय द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को वन निगम के नाम कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक कुल्लू में गिरवी रखना
2.	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने पर ब्याज की हानि
3.	पैरा 6	अनिर्णीत	उप मण्डी भून्तर से प्राप्त आय की ₹1,09,073/– को बैंक मे जमा न करवाया जाना
4.	पैरा 7	अनिर्णीत	दुकानदारों से आबंटित दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹16,89,485/– की वसूली न करना
5.	पैरा 8	अनिर्णीत	मण्डी समिति कुल्लू द्वारा आबंटित दुकानों/बूथों से पिछले 15–20 वर्षों मे किराए की वसूली न करना तथा किराये की वसूली के बिना आबंटित दुकानों/बूथों को दूसरी फर्मों के नाम स्थानान्तरित करना

6.	पैरा 9	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क की बकाया ₹4,01,183/– की वसूली न करना
7.	पैरा 10	अनिर्णीत	लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क की ₹1,04,327/– कम वसूल किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि
8.	पैरा 11	अनिर्णीत	आलू व्यापारियों से अवधि 31.03.2012 तक ₹2,70,200/– का वसूली हेतु शेष पाया जाना
9.	पैरा 12	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹1,36,529/– की वसूली न करना
10.	पैरा 13	अनिर्णीत	नाकाचौकी बजौरा, लुहरी तथा लारजी में लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹29,287/– की कम वसूली करना
11.	पैरा 14	अनिर्णीत	विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की ₹9,19,666/– की वसूली से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना
12.	पैरा 15	अनिर्णीत	उप मण्डी समिति कुल्लू के विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीदों की रसीद संख्या तथा दिनांक इत्यादि को सम्बन्धित लैजर में अंकित न करना
13.	पैरा 16	अनिर्णीत	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में कमी पाई जाना
14.	पैरा 17	अनिर्णीत	मार्किट यार्ड कुल्लू की आय से सम्बन्धित लैजर के रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे
15.	पैरा 18	अनिर्णीत	डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1.	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा 4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पैरा पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	निर्णीत	(सावधी जमा योजना में निवेशित राशियों का विवरण)
4	पैरा 6	अनिर्णीत	(बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने से ब्याज की हानि)

5	पैरा 7 (क, ख, ग, घ, ड़, च, छ)	अनिर्णीत	(रोड़ड बही का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	(दुकानदारों से दुकानों से लम्बित किराये के रूप में ₹19,96,748/– की वसूली बारे)
7	पैरा 9	अनिर्णीत	(मण्डी शुल्क की बकाया ₹3,71,743/– की वसूली बारे)
8	पैरा 10	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा में कम्पाऊंड शुल्क में से ₹19,020 को बैक में कम जमा करवाने बारे)
9	पैरा 11	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा तथा लारजी में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की राशि ₹42,105 की कम वसूली बारे)
10	पैरा 12	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क ₹3,19,118 से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण मं प्रस्तुत न करने बारे)
11	पैरा 13	अनिर्णीत	(विभिन्न मण्डियों में एक ही क्रम संख्या की रसीद पुस्तकों का प्रयोग किए जाने बारे)
12	पैरा 14	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारिं से वसूली मण्डी प्रांगण में न करने बारे)
13	पैरा 15	अनिर्णीत	(विभिन्न मण्डियों में वसूली गई फीस से सम्बन्धित दस्तावेज़ व्यापारियों की नस्तियों में न पाया जाना)
14	पैरा 16	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों की नस्तियों में कुछ फार्मों का न पाया जाना)
15	पैरा 17	अनिर्णीत	(मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रसीदों का इन्द्राज सम्बन्धित लेजर में न करने बारे)
16	पैरा 18	अनिर्णीत	(डिपोजिट कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे)
17	पैरा 19	अनिर्णीत	(निजी प्रिंटिंग प्रैस से 10 रोकड़ बहियों को छपवाने बारे)
18	पैरा 20	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
19	पैरा 21	अनिर्णीत	(लम्बित पड़ी अंकेक्षण अधियाचनाओं बारे)

अनिर्णीत पैरों का सार :–

प्रारम्भिक शेष	**129**
वर्तमान अंकेक्षण में लगाए गए पैरे	**(+) 20**
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत किए गए पैरा	**(–) 4**
अन्तशेष (31.12.2014 तक)	**145**